

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या-13639

शिखा कुमारी, आयु लगभग 33 वर्ष, पुत्री-अखिल भूषण प्रसाद, वर्तमान निवासी-मजिस्ट्रेट कॉलोनी, हाजीपुर निकटवर्ती सिविल कोर्ट हाजीपुर,बिहार-844101,स्थायी निवासी, गाँव-अरिल्ला रघुनाथपुर, डाकघर-सराओ,थाना-नटवर,जिला रोहतास, बिहार-802218

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. महानिबंधक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना-800001,बिहार।
2. महानिबंधक ,माननीय पटना उच्च न्यायालय ,बिहार।
3. मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पटना-800015 द्वारा बिहार राज्य।

..... प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्रीमती वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता
सुश्री वागिशा प्रज्ञा वाककनवी, अधिवक्ता
सुश्री भव्य पांडे, अधिवक्ता
सुश्री अंकिता राँय,
प्रत्यर्थीगण के लिये : श्री पीयूष लाल, अधिवक्ता,
श्री राघवानंद, जी. ए. 11
श्री प्रभात कुमार, जी. ए. 11 के एसी

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- यूजीसी अधिनियम, 1956
- बिहार सेवा संहिता के नियम 204, 205, 212 और 243

संदर्भित मामले:

- ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2024 में रिपोर्ट किया गया एससीसी ऑनलाइन एससी 27
- डॉ. अनिल प्रसाद गारा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 1991 में रिपोर्ट किया गया (2) पीएलजेआर 384
- डॉ. कौशल कुशुम बनाम बिहार राज्य और अन्य पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10227/2007

रिट याचिका- वह आदेश रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के अध्ययन अवकाश और अनुमति के लिए आवेदन, ट्यूरिन, इटली में स्थित संस्थान से "एलएल.एम. इन ट्रांसनेशनल क्राइम एंड जस्टिस" पाठ्यक्रम करने हेतु अस्वीकार कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी हैं, जिन्हें बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर चयनित और नियुक्त किया गया था। वे अपनी सेवा शर्तों के संबंध में बिहार सेवा संहिता और अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

मुख्य मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता को ट्यूरिन, इटली के संस्थान से एलएल.एम. इन ट्रांसनेशनल क्राइम एंड जस्टिस करने की अनुमति प्राप्त करने का अधिकार है और क्या उन्हें 18.11.2024 से 15.07.2025 तक अध्ययन अवकाश मिलने का अधिकार है या नहीं?

निर्णय - यह ध्यान देने योग्य है कि अंतरिम आदेश दिनांक 01.10.2024 के बल पर, याचिकाकर्ता पहले ही पहले चरण के डिस्टेंस लर्निंग (दूरस्थ शिक्षा) को पूरा कर चुकी हैं और एलएल.एम. पाठ्यक्रम के दूसरे चरण के रेजिडेंशियल (आवासीय) अध्ययन में हैं। इस समय उनके उच्च अध्ययन को बाधित करना उपयुक्त नहीं होगा। इन तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.08.2024 के विवादित पत्राचार, जिसे दिनांक 13.08.2024 की स्थायी समिति के संकल्प के साथ पढ़ा जाना चाहिए, में हस्तक्षेप करने का आधार बना लिया है और दोनों

को रद्द किया जाता है।फलस्वरूप, याचिकाकर्ता को बिहार सेवा संहिता के अनुसार अध्ययन अवकाश और अन्य संबंधित लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। (पैरा 31)

रिट याचिका स्वीकार की जाती है।(पैरा 32)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

सीएवी जजमेंट

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तारीख: 17-02-2025

तत्काल रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत/राहत के लिए अनुरोध किया है:

“(क) प्रत्यर्थी संख्या 1 के आदेश को रद्द करने के लिए रिट, आदेश या निर्देश, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 14.08.2024 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के दिनांक 01.07.2024 के पत्र/आवेदन, जिसमें ट्यूनिन, इटली में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान (यूएनसीआरआई) से अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में मास्टर्स ऑफ लॉ (एलएलएम) 2024-25 कार्यक्रम करने के लिए अध्ययन अवकाश और अनुमति मांगी गई थी, को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को केवल उसके उपरोक्त आवेदन के आदेश या अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया है और ऐसे आदेश की कोई प्रति उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए, यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना

की जाती है कि प्रतिवादियों को रिकॉर्ड पर ऐसे आदेश की प्रति पेश करने का निर्देश दिया जाए और उसके बाद, माननीय न्यायालय इसे रद्द करने की कृपा करें।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान (यूएनसीआरआई) और शांति विश्वविद्यालय(यू.पी.ई.ए.सी.ई.) द्वारा इटली, ट्यूरिन में संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में परास्नातक (एल.एल.एम.)सत्र 2024-25 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति देने और अध्ययन अवकाश (18.11.2024 से 15.07.2025 तक) कि अनुमति देने के लिए और विदेश यात्रा करने की अनुमति भी देने के लिये, प्रत्यर्धीगण को निर्देश देने वाले किसी परमादेश रिट या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश का लेखन ।

(ग) ऐसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश पारित करें जो माननीय उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायहित में उचित समझे।

(घ) प्रत्यर्धी संख्या 2 के प्रति शपथपत्र में अनुलग्नक-आर/2-ए के रूप में प्रस्तुत दिनांक 13-08-2024 के संकल्प को रद्द करें तथा प्रत्यर्धी संख्या 1 को अध्ययन अवकाश (18.11.2024 से 15.07.2025 तक) प्रदान करने तथा याचिकाकर्ता को संयुक्त राष्ट्र अंतरक्षेत्रीय अपराध एवं न्याय अनुसंधान संस्थान (यूएनसीआरआई) तथा ट्यूरिन, इटली में शांति विश्वविद्यालय (यूपीईएसीई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय अपराध एवं न्याय में विधिशास्त्र स्नातक (एलएलएम) 2024-25 कार्यक्रम करने की अनुमति देने तथा विदेश यात्रा करने की अनुमति देने का निर्देश दें;

(घ) वैकल्पिक रूप से, कृपया दिनांक 13-08-2024 के आक्षेपित संकल्प को रद्द करें और प्रत्यर्थी संख्या 1 को याचिकाकर्ता को असाधारण अवकाश प्रदान करने का निर्देश दें (18.11.2024 से 15.07.2025 तक) और याचिकाकर्ता को संयुक्त राष्ट्र अंतरक्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान (यूएनआईसीआरआई) और ट्यूरिन, इटली में शांति विश्वविद्यालय (यूपीईएसीई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में मास्टर ऑफ लॉज (एलएलएम) 2024-25 कार्यक्रम करने की अनुमति दें और विदेश यात्रा करने की अनुमति भी दें।

(उपर्युक्त (घ) और (घ) 2024 के अंतर्वर्ती आवेदन(आई. ए). संख्या.-1 के माध्यम से है।)

मामले के संक्षिप्त तथ्य

2. याचिकाकर्ता एक विधि स्नातक(ऑनर्स) डिग्रीधारक है। वह दिसंबर, 2014 से दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान एक कार्यरत अधिवक्ता थीं। उन्होंने सिविल जज(जूनियर डिवीजन) के पद के लिए 29 वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया था। उन्हें सिविल जज के पद पर चुना गया और 24.02.2018 को नियुक्त किया गया। जिसके फलस्वरूप, वह 27.02.2018 पर कैमूर(भभुआ) प्रभाग में के परिवीक्षाधीन सिविल/जूनियर के रूप में शामिल हुई थीं। इसके बाद, उन्हें हाजीपुर, वैशाली में स्थानांतरित और तैनात किया गया और वर्तमान रिट याचिका दायर करने की तारीख तक उन्होंने अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखा। इस बीच, दिनांक 14.12.2023 की अधिसूचना के माध्यम से 10.04.2023 से याचिकाकर्ता की सेवा की पुष्टि की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.01.2024 के *अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ* के निर्णय एस.सी.सी.-2024-आनलाइन-एस.सी.-27 में सुचित के आलोक में याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट किया कि याचिकाकर्ता को

12,49,000- रुपये के बकाया की प्राप्ति हुई थी। वाद मे बकाया की इस रसीद का खुलासा इटली के टूरिन में एल.एल.एम. पाठ्यक्रम को चलाने के लिए आय के स्रोत के उद्देश्य से किया गया है।

3. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता 18.11.2024 से 27.06.2025 की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र अंतरक्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान (यु.एन.आइ.सी.आर.आइ.) और शांति विश्वविद्यालय (यु.पी.इ.ए.सी.इ.) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित टूरिन, इटली में अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में विशेष रूप से विधि में परास्नातक (एल.एल.एम.) सत्र 2024—25 के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। इस पाठ्यक्रम के दो चरण हैं-18.11.2024 से 10.01.2025 तक दूरस्थ शिक्षा और 29.01.2025 से 27.06.2025 तक आवासीय शिक्षा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28.07.2024 थी और बाद में इसे 08.09.2024 तक बढ़ा दिया गया। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए 28.07.2024 को आवेदन किया था। चयन चक्रानुक्रम आधार पर होता है। उम्मीदवारों को उनके आवेदन जमा करने के सात कार्य दिवसों के भीतर चयन प्रक्रिया के परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को जगह की पेशकश की जाती है, तो उसे चार दिनों के भीतर पुष्टि करनी होगी और दस दिनों के भीतर पुरा भुगतान करना होगा। उम्मीदवार को 13,000 अमेरिकी डॉलर की ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा इस शर्त के साथ कि ट्यूशन फीस गैर-वापसी योग्य है, केवल तभी वापस की जा सकती है जब पाठ्यक्रम रद्द कर दिया जाता है और उम्मीदवार अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्ताव को स्थगित नहीं कर सकता है। स्नातक समारोह 11.07.2025 को होगा।

4. 22.10.2020 को, प्रथम प्रत्यर्थी ने *अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों को निजी विदेश यात्रा के लिए अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश* जारी किए। वाद के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर बाहर निकलते हुए, याचिकाकर्ता ने इटली, टूरिन में परास्नातक(एल.एल.एम.) के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 18.11.2024 से 15.07.2025 तक अध्ययन अवकाश की अनुमति मांगने के लिए उचित प्रणाली के माध्यम से पहले प्रत्यर्थी को 01.07.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने आवेदन में यह भी इंगित

परास्नातक (एल.एल.एम.) आवेदन पत्र, सी.वी., प्रेरणा पत्र और पाठ्यक्रम अवलोकन को संलग्न करते हुए अपने आवेदन में यह भी इंगित किया कि आवेदन जमा करने की अंतिम समय सीमा 28.07.2024 थी। उन्होंने 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश(अध्ययन) यात्रा के लिए एक अलग आवेदन भी संलग्न किया था। दूसरे प्रत्यर्थी का विचार है कि मामले को माननीय स्थायी समिति के समक्ष रखा जाना है और इसे 15.07.2024 को रखने का निर्देश दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता के अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन को जिला और सत्र न्यायाधीश, वैशाली द्वारा 03.07.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को भेज दिया गया था। उसने 26.07.2024 को, दूसरे प्रत्यर्थी की मंजूरी की प्रत्याशा में दूसरे प्रत्यर्थी को सूचित किया था कि वह समय सीमा के आलोक में अपना विधि में परास्नातक हेतु आवेदन यु.एन.आइ.सी.आर.आइ. (संस्थान) को भेजेगी। उन्होंने अपने विधि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए यू.एन.आई.सी.आर.आई. को 28.07.2024 को अपना आवेदन जमा किया था। उनका आवेदन 01.08.2024 को स्वीकार कर लिया गया था। उसने दूसरे प्रत्यर्थी को 05.08.2024 को सूचित किया था कि उसका विधि में परास्नातक का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और उसने अपने पहले के दिनांक 01.07.2024 के आवेदन के आलोक में अनुमति के लिए उसके आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया था। उसी दिन, याचिकाकर्ता को यु.एन.आइ.सी.आर.आइ. से शिक्षण शुल्क के भुगतान के लिए वित्तीय नियम और शर्तें गैर-वापसी योग्य शिक्षण शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से 14.08.2024 के रूप में अंतिम तिथि के साथ प्राप्त हुई। अंतिम तिथि, यानी 14.08.2024 को, उसने ₹11,18,289.82/- गैर-वापसी योग्य शिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान किया। याचिकाकर्ता 12.08.2024 से 14.08.2024 तक छुट्टी पर थी। उसे हाजीपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश, वैशाली के कार्यालय के एक अधिकारी से वॉट्सऐप संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें पता चला था कि पहले प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 01.07.2024 को अस्वीकार कर दिया था। बाद में, आधिकारिक तौर पर 16.08.2024 को, याचिकाकर्ता को 14.08.2024 दिनांक 14.08.2024 को ई-मेल की प्रति प्राप्त हुई, जिसे हाजीपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश, वैशाली को सूचित किया गया था।

6. याचिकाकर्ता ने, बिना कोई कारण बताए अपने अध्ययन अवकाश आवेदन को अस्वीकार करने के निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, उन्होंने 20.08.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका(दीवानी) संख्या 525/2024 दायर की थी। 23.08.2024 को वाद सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य कानूनी विकल्पों का पता लगाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया था। इसलिए वर्तमान रिट याचिका में प्रत्यर्थियों ने जवाबी शपथपत्र दायर किया है और याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संशोधन के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया है, जिसमें कि स्थायी समिति के दिनांक 13.08.2024 के संकल्प और अतिरिक्त आधारों को चुनौती दी गई है। इसके बाद, प्रतिवादियों ने पूरक जवाबी शपथपत्र दायर किया है और याचिकाकर्ता ने पूरक जवाबी शपथपत्र का जवाब दाखिल किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता *श्रीमती वी. मोहना* का कथन है कि जहां तक याचिकाकर्ता के अध्ययन अवकाश आवेदन को अस्वीकार करने की बात है, याचिकाकर्ता अपनी प्रभावी रिट याचिका दायर करने की स्थिति में नहीं है। यह आगे बताया जाता है कि दिनांक 14.08.2024 का आक्षेपित पत्र अस्वीकृति आरम्भ से अस्वीकृति की सीमा में है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। प्रशासनिक आदेश पारित करने के लिए भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। यह भी बताया गया है कि 14.08.2024 का सम्पर्क किसी भी भौतिक जानकारी से संलग्न नहीं है, भले ही दिनांक 14.08.2024 का पत्र संलग्नक के संलग्न होने का खुलासा करता है।

8. यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता आपराधिक न्याय के विषय के आधार पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का हकदार है, जिसका इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक कर्तव्यों पर सीधा असर पड़ता है, विधि में परास्नातक कार्यक्रम में संगठित अपराध, उभरते संगठित अपराध, साइबर अपराध, अत्याचार अपराध जैसे विषय शामिल हैं और ये ऐसे विषय हैं जो

परिणामस्वरूप और सीधे न्यायिक अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कर्तव्यों से जुड़े हैं।

9. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट के आलोक में, यदि कोई न्यायिक अधिकारी उच्च योग्यता प्राप्त करता है, तो वह कुछ सेवा और मौद्रिक लाभों का हकदार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने *अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ* (ऊपर उद्धृत), अनुच्छेद संख्या 43 के मामले में इस पर ध्यान दिया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उसने 11,18,289,82 रुपये की राशि विधि में परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करने की अंतिम तिथि यानी 14.08.2024 को भेजी थी। उसी दिन पहली प्रत्यर्थी ने अपना विधि में परास्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवेदन और छुट्टी की अनुमति की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 14.08.2024 का आक्षेपित संचार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत याचिकाकर्ता को मौलिक अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन करता है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि पहले प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय लेते समय, बिहार सेवा संहिता के नियम 204 जैसे वैधानिक प्रावधान का कोई संदर्भ या चर्चा नहीं है और यह सेवाकालीन सरकारी कर्मचारियों को उच्च योग्यता या विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश देने से संबंधित है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पहले प्रत्यर्थी की ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र में, उन्होंने स्थायी समिति के दिनांक 13.08.2024 के संकल्प और 22.10.2020 को जारी किए गए कुछ दिशा-निर्देशों के संबंध में निर्देश प्रस्तुत किए हैं।" यूजीसी विनियम या योजनाएं उपरोक्त विधि में परास्नातक कार्यक्रम के लिए *अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों को निजी विदेश यात्रा के लिए अनुमति नहीं देती हैं।* प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उद्धृत दिशानिर्देशों का विदेश में उच्च योग्यता या अध्ययन के अधिग्रहण के रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी सेवा की शर्तें बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित होती हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम 204 और सहायक प्रावधान जैसे

कुछ प्रावधान देश और विदेश के भीतर अध्ययन अवकाश के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों के आलोक में, यह सरकार या प्रथम प्रत्यर्थी का कर्तव्य था कि वह उन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की पहचान करे जिन पर सेवाकालीन उम्मीदवार द्वारा वाद चलाया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे पाठ्यक्रमों की कोई पहचान नहीं है जो अनुमेय हैं और इसलिए संयुक्त राष्ट्र अंतरक्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान (यू.एन.आई.सी.आर.आई.) और शांति विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.ए.सी.ई.) ट्यूरिन, इटली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में वर्तमान विधि में परास्नातक पाठ्यक्रम जैसे उच्च अध्ययन को आगे बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए यू.जी.सी. दिशानिर्देशों के संदर्भ में स्थायी समिति का प्रस्ताव बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों की भावना में नहीं है। देश और विदेश के भीतर अनुमति और अध्ययन अवकाश के लिए, प्रासंगिक प्रावधान बिहार सेवा संहिता होगी और यह अभी के मामले के लिए प्रासंगिक है, इसलिए, यू.जी.सी. के साथ कुछ पत्राचार के साथ पढ़े गए दिनांकित दिशानिर्देशों का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों को पाठ्यक्रम की पहचान के रूप में लागू नहीं किया जाता है, जिस पर देश और विदेश के भीतर सेवा में उम्मीदवार द्वारा वाद चलाया जा सकता है। इस मुद्दे पर, पहले प्रत्यर्थी के आक्षेपित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है।

11. यह आगे बताया गया है कि बाकी दलीलों में कुछ अधिकारियों ने देश के भीतर एक निजी विश्वविद्यालय में अध्ययन की अनुमति मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है, और याचिकाकर्ता के मामले के लिए ,बार काउंसिल ऑफ इंडिया (संक्षेप में 'बी.सी.आई.') नियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में 'यू.जी.सी.') विनियम तब तक महत्वपूर्ण नहीं हैं जब तक कि बिहार सेवा संहिता में उचित संशोधन नहीं किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी , बी.सी.आई. और यू.जी.सी. के परामर्श से पाठ्यक्रमों की कोई पहचान नहीं की गई है, इसलिए, प्रथम प्रत्यर्थी के पहले के निर्णय बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों और इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के संदर्भ के बिना थे। इसके अलावा, पहले और दूसरे प्रत्यर्थीयों ने समय पर निर्णय नहीं लिया है जैसे कि स्थायी समिति का निर्णय 13.08.2024 को था और याचिकाकर्ता को एक संचार

14.08.2024 को था, जिसमें स्थायी समिति के प्रस्ताव दिनांक 13.08.2024 की भौतिक जानकारी नहीं थी और यह केवल जवाबी शपथपत्र के पैराग्राफ नंबर 9 के माध्यम से बताया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता को संस्थान में 14.08.2024 को शुल्क भेजने के लिए मजबूर किया गया था। बिहार सेवा संहिता के लागू होने के संबंध में जवाबी शपथपत्र मौन है। जवाबी शपथपत्र और पूरक जवाबी शपथपत्र के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की शेष दलीलें अभी के मामले के लिए मान्य नहीं हैं।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थियों ने उनके जवाबी शपथपत्र में स्थायी समिति के 13.08.2024 के प्रावधानों की प्रति प्रस्तुत की है, और यह पहली बार याचिकाकर्ता को केवल 28.09.2024 को ही बताया गया था, इसलिए अंतर्वर्ती आवेदन(आइ.ए) संख्या-1/2024 को दायर किया गया है, जिसमें स्थायी समिति के दिनांक 13.08.2024 के प्रावधानों को रद्द करने और दिनांक 13.08.2024 के प्रावधानों को चुनौती देने के समर्थन में परिणामी राहत की मांग की गई है, और यह प्रस्तुत किया गया है कि स्थायी समिति ने गलती की है जबकि याचिकाकर्ता अपना पाठ्यक्रम पहले छह महीने ऑनलाइन मोड पर और दूसरे छह महीने नियमित रूप से आगे बढ़ाने का इरादा रखती है, जब उम्मीदवार शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य है। दूसरी ओर, पाठ्यक्रम लगभग सात महीने के लिए है जिसमें 18.11.2024 से 10.01.2025 तक दूरस्थ शिक्षा चरण और 29.01.2025 से 27.06.2025 तक आवासीय चरण शामिल हैं। स्थायी समिति और दूसरे प्रत्यर्थी के पहले के निर्णयों को देखते हुए, प्रतीत होता है कि वे अधिकारी देश के भीतर उच्च अध्ययन की योजना का इरादा रखते हैं और इसे विभिन्न प्राधिकरणों से सत्यापित किया गया था और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि यह एक निजी विश्वविद्यालय था और इसकी अनुमति नहीं है। एक वाद में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई थी कि संबंधित अधिकारी ने पहले ही पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। वर्तमान मामले में इसी तरह के दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि स्थायी समिति की राय है कि याचिकाकर्ता अपनी उच्च शिक्षा विदेश में अभियोजित नहीं कर सकती है चूंकि यह बी.सी.आई. नियमों के साथ पठित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ,

इसलिए याचिकाकर्ता को कोई अवसर नहीं दिया गया था या विधि स्नातकोत्तर की मान्यता के संबंध में उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। जो भी हो, जब तक कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से बिहार सेवा संहिता के आलोक में ऐसे सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए उच्च अध्ययन के लिए पाठ्यक्रमों की पहचान नहीं करती है, तब तक यू.जी.सी. विनियम और बी.सी.आई. नियम वर्तमान वाद में बिल्कुल भी कारगर नहीं हैं।

13. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित संस्थान और यह कि विचाराधीन वर्तमान विश्वविद्यालय यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अर्थ के भीतर नहीं आता है, इसलिए, दिनांक 13.08.2024 के आक्षेपित प्रावधान में उद्धृत प्रावधान याचिकाकर्ता के पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होते हैं और वे अपने स्वयं के दिनांक 07.02.2008 के संकल्प की अनदेखी करते हैं, जिसे सैद्धांतिक रूप से पारित किया गया था।

14. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता जिस पाठ्यक्रम के दौर से गुजर रहा है, वह भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में उपलब्ध नहीं है ताकि उस पाठ्यक्रम को अभियोजित किया जा सके जो याचिकाकर्ता कर रहा है। प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता की की आई.ए. संख्या 1/2024, में एक पूरक जवाबी शपथपत्र दायर किया है, जो दिनांक 13.08.2024 के प्रावधान को चुनौती देने, साथ ही रिट याचिका में संशोधन को दूर करने के लिये भी है। प्रत्यर्थीओ ने दोहराया है कि विधि में परास्नातक पाठ्यक्रम/यू.जी.सी. विनियमन, बी.सी.आई. नियम और बी.सी.आई. को आवश्यक और उचित पक्ष के रूप में नहीं रखा गया है। विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची जिनके पाठ्यक्रमों को बी.सी.आई. द्वारा मान्यता दी गई है, ये सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि बिहार सेवा संहिता में संशोधन के अभाव में, जहां तक यह पहचानने के प्रावधान हैं कि कौन से उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम हैं जिनको एक सेवाकालीन उम्मीदवार द्वारा अभियोजित किया जाना है और उच्च अध्ययन पर कोई निषेध है, भारतीय बार काउंसिल की वेबसाइट पर विदेशी विश्वविद्यालयों

की सूची प्रासंगिक नहीं है। यह भी कहा गया है कि 01.10.2024 को एक विस्तृत अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें समन्वय पीठ ने बिहार सेवा संहिता के नियम 204,205,212 और 243 पर ध्यान दिया, जो दो न्यायिक घोषणाओं *डॉ. अनिल प्रसाद गारा और अन्य बनाम बिहार राज्य के वाद(पी.एल.जे.आर-1991(2)-384 में सुचित)* के पैराग्राफ संख्या 7 से 10 और उसी सिद्धांत का पालन *डॉ. कौशल कुशुम बनाम बिहार राज्य और अन्य सी.डब्ल्यू.जे.सी-10227/2007* जो कि 02.07.2010 को निर्णीत है के वाद में किया गया है और यह न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इसकी पुष्टि *एल.पी.ए.-365/2011* में 07.09.2017 को निर्णीत वाद में की गई। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, जवाबी शपथपत्र और पूरक जवाबी शपथपत्र, में जिसमें प्रत्यर्थियों ने बिहार सेवा संहिता के नियम संख्या-204,205,212,और 243 जो विधि के प्रासंगिक प्रावधान हैं का उल्लेख नहीं किया है। समय-समय पर न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अप्रासंगिक सामग्रियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और किसी विशेष मामले में विधि का प्रासंगिक प्रावधान क्या है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान वाद में, उन प्रावधानों के न्यायिक निर्णयों के साथ पढ़े गए उद्धृत बिहार सेवा संहिता के प्रावधान वाद के लिए प्रासंगिक हैं। इन सभी मामलों में स्थायी समिति के दिनांक 13.08.2024 के आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हुए सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 13639/2024 को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके बाद दिनांक 14.08.2024 का संचार किया जाना चाहिए और इसके अलावा, याचिकाकर्ता बिहार सेवा संहिता के आलोक में सेवा शर्त के अनुदान की परिणामी राहत का हकदार है।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, *श्रीमती वी. मोहना* ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 01.10.2024 के अंतरिम आदेश का लाभ मिला है, जिसके परिणामस्वरूप, उसने दूरस्थ शिक्षा का पहला चरण 18.11.2024 से 10.01.2025 को पूरा कर लिया है और वह 29.01.2025 से आवासीय शिक्षा के दूसरे चरण से गुजर रही है और यह 27.06.2025 पर पूरा हो जाएगा, इसलिए, अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधे रास्ते में, याचिकाकर्ता को परेशान नहीं किया जाएगा और वह बिहार सेवा संहिता के संदर्भ में अध्ययन अवकाश और अन्य सेवा लाभों की हकदार है।

दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत कथन

16. दूसरे प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता तारीखों और घटनाओं जैसे पाठ्यक्रम की घटनाओं के कैलेंडर पर विवाद नहीं कर रहे हैं, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा आगे बढ़ाया जाना था और पक्षों के बीच पत्राचार किया जाना था। यह बताया गया है कि विधि में परास्नातक कार्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और प्रवेश लेने के प्रस्ताव के लिये उसकी स्वीकृति हेतु सूचित करने की समय सीमा 04.08.2024 को थी। उसने अपनी स्वीकृति के साथ उक्त विधि में परास्नातक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के प्रावधान के बारे में उक्त संस्थान को सूचित करते हुए अपना ई-मेल भेजा था, लेकिन अगली तारीख को प्रत्यर्थियों को संबोधित अपने पत्र संख्या 56/2024 दिनांक-05.08.2024 में उसने प्रवेश लेने के प्रस्ताव की अपनी स्वीकृति के बारे में पहले से ही सूचित करने का कोई उल्लेख नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थायी समिति के प्रावधान दिनांक 13.08.2024 के माध्यम से याचिकाकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया जा सकता है और यह अनजाने में हुआ है और इसे दूसरे प्रत्यर्थी के दिनांक 14.08.2024 के संचार के साथ संलग्न किया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थायी समिति ने याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया क्योंकि उसने अपने विधि में परास्नातक कार्यक्रम और छुट्टी को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी और इसका कारण यह है कि विधि में परास्नातक कार्यक्रम का ऑनलाइन पाठ्यक्रम यू. जी. सी. (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम) विनियम 2020 के तहत प्रतिबंधित है। और राज्य सरकार छुट्टी के आधे वेतन पर अध्ययन की अनुमति और विधि परास्नातको के लिए वेतन वृद्धि देती है जो इसे केवल उन पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य बनाती है जो भारत में मान्यता प्राप्त हैं। याचिकाकर्ता ने माननीय स्थायी समिति द्वारा अपने प्रावधान दिनांक 13.08.2024 के अपने संकल्प में दिए गए तर्क पर प्रहार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेशी संस्थान के विधि स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता भारत में विधिवत मान्यता प्राप्त नहीं है।

17. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दो न्यायिक अधिकारी जिन्होंने ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, नागालैंड से विधि में परास्नातक पाठ्यक्रम को दूरस्थ मोड के माध्यम से आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, उन्हें संसाधित किया गया और स्थायी समिति के समक्ष रखा गया। स्थायी समिति ने दूरस्थ मोड के माध्यम से विश्वविद्यालय और विधि परास्नातक पाठ्यक्रम की साख को देखते हुए इसे अनुमति देने से इनकार कर दिया और यह एक निजी विश्वविद्यालय था। महत्व का पता लगाने के बाद इसने न केवल दो न्यायिक अधिकारियों बल्कि और अन्य 59 न्यायिक अधिकारियों को अनुमति न देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने दिनांक 03.05.2024 के संकल्प के माध्यम से अनुमति मांगी थी। स्थायी समिति के दिनांक 15.05.2024 के एक अन्य निर्णय में, इसी तरह का रुख अपनाया गया है और 20.06.2024 को लगभग 20 न्यायिक अधिकारियों ने अनुमति और छुट्टी के लिए अनुरोध किया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। केवल एक न्यायिक अधिकारी रंजीत कुमार सोनू, बेनीपट्टी, मधुबनी के समर्थन में, 26.09.2023 को उन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी जो वर्ष 2024 के प्रावधानों से पहले की हैं।

18. 07.02.2008 को, स्थायी समिति ने एक श्री पाठक आलोक कौशिक, प्रोबेशनरी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ,बिहारशरीफ को अनुमति दी कि वे पीएचडी (इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में लॉ कोर्स) करेंगे। दिनांक 07.02.2008 के संकल्प को एक अनुब्रिधिके साथ संशोधित किया गया था कि, *"हालाँकि, ऐसी कोई अनुमति नहीं है, कि यह उस अवधि के दौरान प्रदान किया जाएगा जब एक अधिकारी प्रेरण प्रशिक्षण या एक समयबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर रहा है या उसे कोई विशिष्ट समयबद्ध परियोजना कार्य सौंपा गया है।"*

19. दूसरा प्रत्यर्थी यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 22(3), धारा 26(1) और (2) के साथ धारा 12(जे) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के संदर्भ में विनियम 2020 के खंड 2(वी), 2(यू), खंड 2 (जेड) पर भरोसा कर रहा है। इसी तरह बी.सी.आई. के साथ पठित यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 ने

बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधिक शिक्षा (स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट, कार्यकारी, व्यावसायिक, नैदानिक और अन्य निरंतर शिक्षा) नियम, 2020 और प्रासंगिक नियम 1(बी) नियम 6, नियम 7 (ए), नियम 7(बी), नियम 20(3) जारी किए। इन प्रावधानों के आलोक में, स्थायी समिति के दिनांक 13.08.2024 के आक्षेपित प्रावधान, जिसे दुसरे प्रत्यर्थी के दिनांक-14.08.2024 के पत्र के साथ पढ़ जायेगा, में कोई कमी नहीं है।

20. याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन/दिनांक 26.07.2024 के पत्र के अनुसार, उसे तब तक प्रवेश प्रक्रिया के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था जब तक कि उसे पहले प्रत्यर्थी द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया हो। उन्होंने दिनांक 05.08.2024 के अपने पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को सूचित नहीं किया और 13/14.08.2024 पर बकाया शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ीं। प्रत्यर्थियों ने उन विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न करते हुए पूरक जवाबी शपथपत्र दायर किया है जिनकी विधि की डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसाकि 26.8.2020 तक है, कुछ संचार दिनांक 29.06.2024 और 12.07.2024 के, यू.जी.सी.(इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) विनियमन 2017 दिनांक 04.11.2020 और यू.जी.सी. का पत्र दिनांक 18.01.2013, स्थायी समिति के दिनांक 28.08.2024 के संकल्प के बाद 03.09.2024 और 18.09.2024 के पत्र, दिनांक 07.09.2024 और 30.10.2024 के पत्र। ये सभी विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची से संबंधित हैं जिनकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विधि की डिग्री है। याचिकाकर्ता का विधि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बी.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में से किसी एक में नहीं है। अन्य दस्तावेज इन सहायक मुद्दों से संबंधित हैं कि कैसे विधि परास्नातक पाठ्यक्रम को ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर इन तथ्यों को स्वीकार किया जाता है तो याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता के विधि परास्नातक और अध्ययन अवकाश के उपरोक्त पाठ्यक्रम पर वाद चलाने की अनुमति का हकदार नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का वाद नहीं निर्मित होता है। अतः रिट याचिका खारिज की जा सकती है।

21. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं की सलाह सुनी।

विक्षेपण

22. वर्तमान सूची में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता ट्यूरिन, इटली में संयुक्त राष्ट्र अंतरक्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान (यू.एन.आई.सी.आर.आई.) से अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में विधि परास्नातक(एल.एल.एम.), सत्र-2024-2025 को अभियोजित करने की अनुमति का हकदार है और आगे क्या वह 18.11.2024 से 15.07.2025 तक अध्ययन अवकाश का हकदार है या नहीं?

23. संबंधित अधिवक्ताओं की दलीलों को स्वीकार करने से पहले, बिहार सेवा संहिता के नियम 204,205,206 और 212 जैसे वैधानिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं:

“204. (क) इसके बाद निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को विशेष अध्ययन अवकाश दे सकती है ताकि वह वैज्ञानिक, तकनीकी या इसी तरह की समस्याओं का अध्ययन कर सके या किसी विशेष पाठ्यक्रम से गुजर सके। इस तरह की छुट्टी, छुट्टी खाते से नहीं ली जाती है।

(ख) ये नियम केवल अध्ययन अवकाश से संबंधित हैं। सरकार के कहने पर अन्य देशों में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के मामले को पूरा करने का उनका इरादा नहीं है, या तो उन पर लगाए गए विशेष कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए या उनके तकनीकी कर्तव्यों से जुड़ी विशिष्ट समस्याओं की जांच के लिए। ऐसे मामलों को नियम 61 के प्रावधानों के तहत उनके गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाएगा। ऐसी छुट्टी सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, नागरिक, पशु चिकित्सा, कारखाना, कृषि, शिक्षा, लोक निर्माण या वन

विभाग में किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है, जिसे राज्य सरकार की राय है कि ऐसी छुट्टी जनहित में दी जानी चाहिए।

रेखांकित आपूर्ति की गई

205. अध्ययन अवकाश के उद्देश्य से आधे औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश भारत में या बाहर लिया जा सकता है। अध्ययन अवकाश सामान्य रूप से पाँच साल से कम की सेवा वाले सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों को उस तारीख से तीन साल के भीतर, जिस तारीख को उनके पास सेवानिवृत्त होने का विकल्प होगा या यदि उनके पास 20 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने का विकल्प है, तो उस तारीख से तीन साल के भीतर जब वे 25 साल की सेवा पूरी करेंगे, अध्ययन-अवकाश नहीं दिया जाएगा ।

206. अध्ययन-अवकाश का अनुदान लोक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। किसी भी दशा में यह छुट्टी इस तरह न दी जायेगी कि असारधारण छुट्टी से अन्य छुट्टी या चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी को मिलाकर सरकारी कर्मचारी नियमित कर्तव्यों से 28 महीने से अधिक अनुपस्थिति हो या यह छुट्टी सरकारी कर्मचारी की सेवा की पूरी अवधि में दो साल से अधिक हो जाये और न ही यह इस तरह बार-बार दी जाएगी जो उसे अपने नियमित काम से उसका सम्पर्क छुट जाये या छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण संवर्ग(कैंडर) सम्बंधी कठिनाइया उत्पन्न हो। एक समय में 12 महीने की समयावधि को साधारणतया उपयुक्त अधिकतम समझी जाएगी, और बिना विशेष कारणों को छोड़कर इसे बढ़ाया नहीं जाएगा।

212. कोई भी अध्ययन-चर्या(कोर्स) अध्ययन-भत्ते की स्वीकृति के लिये या अध्ययन -छुट्टी के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये योग्यता-प्रदायी न

मानी जायेगी, अध्ययन भत्ता देने के लिए, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अध्ययन-छुट्टी के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक उपरोक्त नियम 210 और 211 के अनुसार, भारत में इसे मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा उसे कम से कम संक्षिप्तरूपरेखा में अनुमोदित नहीं किया गया है, और जहाँ पुरा विवरण भारत के प्राधिकारियों को देना सम्भव न रहा हो, वहाँ जब तक कि शुरू करने से पहले उच्चायुक्त द्वारा विस्तार से अनुमोदित किया गया है।”

रेखांकित आपूर्ति की गई

24. याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी है जिसे सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए 29 वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा में चुना और नियुक्त किया गया था और वह बिहार सेवा संहिता और अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों द्वारा अपनी सेवा की स्थिति के उद्देश्य से शासित है। उनकी मांग अध्ययन अवकाश के अनुदान के साथ विधि स्नातकोत्तर कार्यक्रम को अभियोजित करने की अनुमति देने से संबंधित है। बिहार सेवा संहिता के नियम 204, 206 और 212 के संदर्भ में इन दोनों मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले प्रत्यर्थी का दिनांक 13.08.2024 का प्रावधान, यू.जी.सी.(मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम 2020 (संक्षेप में 'यू.जी.सी., विनियम 2020') को संदर्भित करता है जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को टूरिन, इटली में यू.एन.आई.सी.आर.आई. से अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में विधि परास्नातक कार्यक्रम (एल.एल.एम.), सत्र-2024-2025 को आगे बढ़ाना है, जो दो चरणों में हैं: 18.11.2024 से 10.01.2025 तक दूरस्थ शिक्षा और 29.01.2025 से 27.06.2025 तक आवासीय शिक्षा, यह लगभग सात महीने का पाठ्यक्रम है, जबकि अनजाने में, पहले प्रत्यर्थी ने प्रावधान में पहले छह महीने का ऑनलाइन मोड और दूसरा छह महीने, जब उम्मीदवार शारीरिक मोड पर उपस्थित होने के लिए बाध्य हो ,पर ध्यान दिया।

25. याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि दूसरे प्रत्यर्थी ने दिनांक 13.08.2024 के प्रावधान को दिनांक 14.08.2024 के पत्र के साथ सूचित नहीं किया है। यह दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित नहीं है जैसा कि जवाबी शपथपत्र के पैराग्राफ नंबर 9 से स्पष्ट है, परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता दिनांक 14.08.2024 के अनुचित संचार के आलोक में प्रभावी रिट याचिका दायर करने में असमर्थ था। जवाबी शपथपत्र प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संशोधन के लिए आई.ए. दायर किया है, जहां तक कि पहले प्रत्यर्थी के दिनांक 13.08.2024 के प्रावधान को चुनौती दी गई है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने इस बात से अवगत नहीं कराया है कि विधि परास्नातक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले याचिकाकर्ता का उसके आधिकारिक कर्तव्यों पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि विधि स्नातकोत्तर कार्यक्रम में संगठित अपराध, उभरते संगठित अपराध, साइबर अपराध, अत्याचार अपराध जैसे विषय शामिल हैं और ये सभी ऐसे विषय हैं जो याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक अधिकारी के रूप में किए गए कर्तव्यों से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने अभ्यावेदन दिनांक 01.07.2024 में विधि स्नातकोत्तर कार्यक्रम के कैलेंडर कार्यक्रमों से भी अवगत कराया है जिसमें आवेदन जमा करना, भुगतान मोड की स्वीकृति और शुल्क की गैर-वापसी आदि शामिल हैं।

26. दूसरे प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता दूसरे प्रत्यर्थी को संबंधित संस्थान को भुगतान (शुल्क) के प्रेषण के रूप में को दिनांक 13/14.08.2024 को सूचित करने में विफल रहा है। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने 13/14.08.2024 को पाठ्यक्रम शुल्क के प्रेषण के रूप में दूसरे प्रत्यर्थी को सूचित नहीं किया है, याचिकाकर्ता ने 01.07.2024 से 14.08.2024 तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान विभिन्न पत्राचार किए हैं। अपने पहले आवेदन दिनांक 01.07.2024 में, उन्होंने पाठ्यक्रम की कैलेंडर घटनाओं पर प्रकाश डाला है जिसमें भुगतान मोड भी इंगित किया गया है। इसके अलावा, वाद अकादमिक मुद्दे और समयबद्ध मामले से संबंधित है, इसलिए, याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 01.07.2024 के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को स्वीकृति के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए थी। यदि इसे 13.08.2024 से पहले अस्वीकार कर दिया जाता, तो उस स्थिति में, याचिकाकर्ता को 11,18,289.82-रुपये का शुल्क जमा करने से रोका

जाता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को उपरोक्त शुल्क का स्रोत यह है कि उसने खुलासा किया है कि उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ* के फैसले के आलोक में 12,49,000 रुपये की राशि का एकमुश्त बकाया प्राप्त हो रहा है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से उसके दावे को अस्वीकार करने में बहुत कम देरी हुई है, विशेष रूप से, उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए भुगतान जमा करने की अंतिम तिथि की तारीख जो कि अंतिम तिथि से एक दिन पहले है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता की शिकायत को अस्वीकार करने का निर्णय अंतिम समय में था और इसके परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में रु 11, 18, 289.82-का भुगतान जमा करना पड़ा।

27. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रथम प्रत्यर्थी ने दिनांक 13.08.2024 का प्रावधान पारित करते समय बिहार सेवा संहिता के नियम 204,205 और 206 जैसे बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों पर ध्यान नहीं देने की गलती की है। दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी ने यू.जी.सी. विनियम, 2020 पर भरोसा किया है जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए निषेध करता है और उच्च न्यायालय केवल उन पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति देता है जो भारत में मान्यता प्राप्त हैं या जो समान प्रकृति के हैं और जो किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं हैं। याचिकाकर्ता बिहार सेवा संहिता द्वारा कुछ सेवा शर्तों के उद्देश्य से शासित है, इसलिए प्रस्ताव में उद्धृत यू.जी.सी. विनियम 2020 के पास, प्रावधान के समर्थन में कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार किया जा सके।

28. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 204,205,206 और 212 के तहत उन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए कुछ अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है, जिन पर किसी भी सेवाकालीन सरकारी कर्मचारी द्वारा वाद चलाया जा सकता है। इस संबंध में, उच्च न्यायालय के परामर्श से सरकार द्वारा कोई सरकारी अधिसूचना या नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए, यू.जी.सी. के प्रावधान/यू.जी.सी./बार काउंसिल ऑफ इंडिया

की नीतियाँ/नियम/विनियम मामले में लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, वर्तमान विधि परास्नातक (एल.एल.एम.) की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

29. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला इस न्यायालय के समन्वय पीठ के **डॉ. अनिल प्रसाद गारा और अन्य** का मामला (ऊपर उद्धृत) और **डॉ. कौशल कुसुम** (ऊपर उद्धृत) के मामले में एक और निर्णय जिसकी पुष्टि एल. पी. ए. संख्या 365/2011 में की गई थी के फैसले में पूरी तरह से शामिल है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से दायर जवाबी शपथपत्र उपरोक्त निर्णयों के साथ पढ़े गए बिहार सेवा संहिता के वैधानिक नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में मौन है, इन कारणों से कि 01.10.2024 पर अंतरिम आदेश देते समय, इस न्यायालय ने उपरोक्त सामग्री पर ध्यान दिया है। हालाँकि, 01.10.2024 पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले जवाबी शपथपत्र दायर किया गया है, हालाँकि, दूसरे प्रत्यर्थी ने पूरक जवाबी शपथपत्र दायर किया है और पूरक जवाबी शपथपत्र में, बिहार सेवा संहिता और उद्धृत निर्णयों के खंडों और वैधानिक प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में कोई कानाफूसी नहीं है। दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से समग्र निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता केवल यू.जी.सी. अधिनियम, 1956, यू.जी.सी. विनियम, 2020 और बी.सी.आई. अधिनियम के नियमों के साथ पढ़ने के आधार पर मांगी गई राहत का हकदार नहीं है, ये सभी वर्तमान सूची में शामिल मुद्दे के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक सामग्री हैं। इस बिंदु पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नायर सर्विस सोसाइटी बनाम **टी. बीरमस्थान(एस.सी.सी.-2009-(5)-545** में सुचित- के पैरा सं. 48 में के फैसले पर भरोसा किया कि इस हद तक कि सीधे निर्णयों या वैधानिक प्रावधानों को तब तक ध्यान में नहीं रखा जा सकता जब तक कि इसका विषय वस्तु पर असर न हो और यदि यह विभिन्न विनियमों या नियमों के दायरे में आता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित वैधानिक प्रावधान को विषय के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इसलिए, दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से दायर जवाबी शपथपत्र और पूरक जवाबी शपथपत्र में वर्णित अन्य सभी दलीलें सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 13639/2024 को अनुमति देते हुए अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

30. समान मामले में, इस न्यायालय ने समय-समय पर प्रावधान पारित किया है जिसमें शेष मामलों में एक घटना को छोड़कर प्रथम प्रत्यर्थी ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्च अध्ययन को अभियोजित करने को खारिज कर दिया है। ये तर्क इन कारणों से सराहनीय नहीं हैं कि यू.जी.सी. अधिनियम, 1956, यू.जी.सी. विनियम 2020 और बी.सी.आई. अधिनियम और नियम वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ट्यूरिन, इटली में अपने विधि परास्नातक (एल.एल.एम.)सत्र 2024-2025, यूएनसीआरआई को अभियोजित करने का इरादा रखती है। बिहार राज्य ने यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित विधि परास्नातक जैसे पाठ्यक्रम जो बी.सी.आई. की नीति के साथ पढ़े जाते हैं राज्य की पहचान करने के रूप में नहीं अपनाया है। मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची भी प्रत्यर्थियों की सहायता नहीं कर रही है। यू.जी.सी. अधिनियम, बी.सी.आई. अधिनियम और विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची का कोई प्रभाव नहीं है और इसके अलावा दिनांक 13.08.2024 के प्रावधान में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता को उसकी शिकायत को अस्वीकार करने से पहले अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, इस कारण से कि समान मामले में एक न्यायिक अधिकारी ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, नागालैंड में उच्च अध्ययन को अभियोजित करने का इरादा रखता है, इस न्यायालय ने विश्वविद्यालय की साख को सत्यापित किया है और उन्होंने पाया है कि यह एक निजी विश्वविद्यालय था। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करने वाला कोई प्रशासनिक आदेश है, तो ऐसी स्थिति में उसे वाद में सुना जाना चाहिए था। यदि याचिकाकर्ता को अपना मामला इस हद तक प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया होता कि वह यू.जी.सी. विनियम, 2020 से बाध्य है जैसा कि दिनांक 13.08.2024 के प्रावधानमें वर्णित है, तो वह बताती कि वर्तमान मामले में यू.जी.सी. विनियम, 2020 का कैसे कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा, 01.10.2024 को एक विस्तृत अंतरिम आदेश पारित किया गया था जो कुछ हद तक विषय वस्तु को शामिल करता है, इसलिए, दिनांक 01.10.2024 के अंतरिम आदेश को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है और यह निम्नानुसार है:

"तत्काल याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.08.2024 के संकल्प पर प्रहार किया है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का संयुक्त राष्ट्र अंतरक्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान, ट्यूरिन, इटली (संक्षेप में 'ट्यूरिन, इटली में यूएनसीआरआई') से अंतर्राष्ट्रीय अपराध और न्याय में विधि परास्नातक (एल. एल. एम.)सत्र 2024-2025 कार्यक्रम को अभियोजीत करने के लिए अध्ययन अवकाश और अनुमति की मांग करने वाले दिनांक 01.07.2024 के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. प्रत्यर्थियों ने जवाबी शपथपत्र दायर किया है, जवाबी शपथपत्र में उन्होंने स्थायी समिति द्वारा दिनांक 13.08.2024 द्वारा पारित प्रावधान की प्रति प्रस्तुत की है। दूसरे शब्दों में, स्थायी समिति के दिनांक 13.08.2024 के प्रावधान के अनुसार, दिनांक 14.08.2024 का आक्षेपित संकल्प जारी किया गया है। इसलिए, दिनांक 13.08.2024 का संकल्प दिनांक 14.08.2024 के आक्षेपित पत्र के साथ विलय हो जाता है। याचिकाकर्ता-शिखा कुमारी जो न्यायिक अधिकारी हैं, जहाँ तक अध्ययन अवकाश देने का संबंध है, बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित हैं और यह आक्षेपित नहीं है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यदि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त विधि परास्नातक (एल.एल.एम.) प्राप्त कर लिया है, तो इसका सीधा असर न्यायिक अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता के कार्य पर पड़ता है। वास्तव में, न्यायिक अधिकारी के पद की दक्षता और कर्तव्यों के निर्वहन में बड़े पैमाने पर समाज और न्यायपालिका-संस्थान से लाभ होगा।

4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 13.08.2024 के प्रावधान में दिए गए कारणों का बिहार सेवा संहिता के नियम 205,212 और 243 के आलोक में कोई संबंध नहीं है और इसे कठिनाई नियम-संविधिक नियम के

रूप में पढ़ा जाता है। 111/आरटी-2010/55 ए-11505 दिनांक 28.11.1956, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत जारी किया गया। समन्वय पीठ द्वारा डॉ. अनिल प्रसाद गारा बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में इन प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। डॉ. कौशल खुशुम सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 10227/2007 के वाद में एक और निर्णय में उसी सिद्धांत का पालन किया गया, और डिवीजन बेंच द्वारा एल. पी. ए 365/2011 में दिनांक 02.07.2010 को इसकी पुष्टि की गई थी।

5. दिनांक 13.08.2024 की कार्यसूची और संकल्प को फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:

13 अगस्त, 2024 को आयोजित माननीय स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव का मूल पाठ पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी.

मद सं।	एजेंडा	समाधान
2	सुश्री शिखा कुमारी, जे. एम. प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर की प्रार्थना पर विचार करने के लिए, यू. एन. आई. सी. आर. आई. (संयुक्त राष्ट्र अंतरक्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान), यू. एन.	इस मामले पर विचार करने के बाद, स्थायी समिति की राय थी कि ऐसे उदाहरण हैं जहां न्यायिक अधिकारियों ने ऑनलाइन एल. एल. एम. कार्यक्रमों से गुजरने की अनुमति मांगी है, जिन्हें स्थायी समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, विशेष रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए निषेध को देखते हुए जैसा कि यू. जी. सी. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 द्वारा लाया गया है।

	कैम्पस, ट्यूरिन, इटली में अंतर्राष्ट्रीय अपराध और न्याय में मास्टर ऑफ लॉज (एल. एल. एम.) के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए और उनके चयन की स्थिति में, प्रवेश लेने और उक्त पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 18.11.2024 से 15.07.2025 तक अध्ययन अवकाश प्राप्त करने के साथ-साथ 15.01.2025 से 15.07.2025 तक ट्यूरिन (इटली) की विदेश यात्रा की अनुमति। (XXIX-191-2023) (एडी नियुक्ति अनुभाग)	वर्तमान मामले में भी, पाठ्यक्रम इसे ऑनलाइन और नियमित दोनों होने का संकेत देता है; पहले छह महीने
--	--	--

		ऑनलाइन पर मोड और दूसरे छह महीने, जब उम्मीदवार शारीरिक मोड पर उपस्थित होने के लिए बाध्य है। यह उचित है कि राज्य सरकार। आधे वेतन पर अध्ययन अवकाश की अनुमति देता है और एल. एल. एम. योग्य व्यक्ति को तीन वेतनवृद्धि भी प्रदान करता है, जिससे यह अनिवार्य हो जाता है कि उच्च न्यायालय केवल उन पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति दे जो भारत में मान्यता प्राप्त हैं या समान प्रकृति के हैं। यह देखते हुए कि जिस पाठ्यक्रम में अधिकारी ने अनुमति मांगी है, वह आंशिक रूप से एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, स्थायी की सर्वसम्मति राय है कि अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाए। अस्वीकार कर दिया "।
--	--	---

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता द्वारा अभियोजित किये जाने वाले संक्रमणकालीन अपराध और न्याय में कार्यक्रम ऑनलाइन और नियमित पाठ्यक्रमों के संबंध में यू. जी. सी. विनियम, 2020 में अंतर करते हैं। यह कहा गया है कि तीन महीने हाइब्रिड में हैं और छह महीने भौतिक मोड से हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में कानून में परास्ना तक(एल.एल.एम.) प्राप्त किया द्वारा और पाठ्यक्रम पूरा होने की स्थिति में यह भारतीय विश्वविद्यालय के परास्नातक

के बराबर नहीं है, उस स्थिति में वह किसी भी सेवा लाभ का दावा नहीं करेगी जैसे कि न्यायिक अधिकारी द्वारा एल.एल.एम. का अधिग्रहण कुछ वृद्धि और मौद्रिक लाभों का हकदार है। दूसरे शब्दों में, वह उपरोक्त सेवा लाभों को छोड़ने के लिए तैयार है, यदि अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय में परास्नातक (एल. एल. एम.) भारतीय विश्वविद्यालय की परास्नातक डिग्री के बराबर नहीं है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बिहार सेवा संहिता के नियम 205 की ओर इशारा किया, जो उच्च शिक्षा के लिए असाधारण छुट्टी देने से संबंधित है। याचिकाकर्ता नियम 205 के तहत निर्धारित शर्त को पूरा करता है। इसलिए, दिनांक 13.08.2024 के प्रावधान में दिए गए कारण याचिकाकर्ता द्वारा विधि में परास्नातक के अधिग्रहण पर सीधे असर नहीं डालते हैं और कारण बाहरी हैं और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी बिहार सेवा संहिता और दिनांक 1 के उद्धृत (रूपर) वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा न्यायिक पक्ष से विश्लेषण किया गया था।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों प्रत्यर्थी यो के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और कहा कि दिनांकित 13.08.2024 के प्रावधान के आलोक में, याचिकाकर्ता ने अंतरिम आदेश देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 212 का पालन करना आवश्यक है। जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा अभियोजित किए जाने वाले विधि के परास्नातक (एल.एल.एम.) अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय पाठ्यक्रम की मान्यता का संबंध है, बिहार सेवा संहिता के नियम 212 का गैर-अनुपालन है। इसलिए, यह अंतरिम आदेश देने का मामला नहीं है।

9. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं की सलाह सुनी।

10. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी है जिसे वर्ष 2018 में नियुक्त किया गया था और उसने विभिन्न जिलों में कार्य किया था। प्रत्यर्थी संख्या 1-को पटना में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी/न्यायाधीशों को दिनांक 20.10.2020 निजी विदेश यात्रा अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह केवल निजी विदेश यात्रा से संबंधित है, ये दिशानिर्देश वर्तमान वाद पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वर्तमान वाद उच्च अध्ययन को अभियोजित करने के संबंध में है जबकि न्यायिक अधिकारी सेवा में है। इसलिए, प्रासंगिक प्रावधान बिहार सेवा संहिता, नियम 205 के तहत है जो इस प्रकार हैः.

“205. अध्ययन अवकाश के उद्देश्य से आधे औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश भारत में या बाहर लिया जा सकता है। अध्ययन अवकाश सामान्य रूप से पाँच साल से कम की सेवा वाले सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों को उस तारीख से तीन साल के भीतर ,जिस तारीख को उनके पास सेवानिवृत्त होने का विकल्प होगा या यदि उनके पास 20 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने का विकल्प है, तो उस तारीख से तीन साल के भीतर जब वे 25 साल की सेवा पूरी करेंगे,अध्ययन-अवकाश नहीं दिया जाएगा ।

[रेखांकित आपूर्ति]

11. याचिकाकर्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध और न्याय में कानून के परास्नातक (एल.एल.एम.) के अधिग्रहण की स्थिति में इसका न्यायिक अधिकारी पद के कार्यों पर सीधा अधिकार है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता द्वारा धारण किए गए पद के कर्तव्यों के निर्वहन में वृद्धि/दक्षता होगी और यह बड़े पैमाने पर लोगों और न्यायपालिका-संस्थान के लिए फायदेमंद होगा। अंतरराष्ट्रीय अपराध

और न्याय विषय में कानून में परास्नातक (एल.एल.एम.) जिसका उनके न्यायिक कार्य के क्षेत्र के साथ प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध है और इसलिए यह भविष्य में बिहार न्यायिक अकादमी को भी लाभान्वित कर सकता है। भले ही वह मिश्रित और शारीरिक तरीके से पाठ्यक्रम में भाग ले रही है, जो एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उसकी क्षमता में सुधार करने और न्यायपालिका सेवा में उन कर्मचारियों के साथ सहयोग करने के लिए उसे बेहतर तरीके से सुसज्जित करने की संभावना के साथ उसके दिमाग को व्यापक बनाने में सक्षम हैं। वास्तव में, अध्ययन का प्रस्तावित पाठ्यक्रम, न्यायिक सेवा के दृष्टिकोण और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्ययन अवकाश देने के लिए से निश्चित रूप से फायदेमंद होगा।

12. दो अवसरों पर, इस न्यायालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और पशु चिकित्सा विभाग में सेवा उम्मीदवार द्वारा उच्च योग्यता के अधिग्रहण के संबंध में विचार किया। उन निर्णयों को उद्धृत किया गया है (रूपर), इस न्यायालय ने उच्च योग्यता के अधिग्रहण के पक्ष में अनुमति दी है जिसमें इस न्यायालय ने बिहार सेवा संहिता के नियम 204,205,212,243 का विश्लेषण किया है जिसे 28.11.1956 को जारी किया गया है जिसके द्वारा राज्य सरकार को किसी भी नियम (पैरा 7 से 10) में छूट देने का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 14 और 226 (पैरा 11 से 13) पर डा.अनिल प्रसाद गारा और अन्य के वाद में दिया गये निर्णय को उपरोक्त निर्णयों में ध्यान में रखा गया है। प्रत्यर्थियों ने बिहार सेवा संहिता के नियम 204,205,212 और 243 और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी किए गए नियम 28.11.1956 जैसे वैधानिक प्रावधानों को दिनांक 14.08.2024 के आक्षेपित संकल्प जिसे 13.08.2024 के प्रावधान के साथ पढ़ गया, पर ध्यान

नहीं दिया है। उद्धृत निर्णयों में समन्वय पीठ ने उपरोक्त प्रावधानों पर विचार किया।

13. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने बिहार सेवा संहिता के नियम 212 पर भरोसा किया और यह निम्नानुसार है:

“212. किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम को अध्ययन भत्ता देने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अध्ययन अवकाश देने के लिए अर्हक नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसे भारत में स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा नियम 210 और 211 के अनुसार कम से कम व्यापक रूपरेखा में अनुमोदित न कर दिया गया हो, और जब तक कि ऐसे मामलों में जहां भारत में प्राधिकारियों को पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना संभव न पाया गया हो, उसे शुरू करने से पहले उच्चायुक्त द्वारा विस्तार से अनुमोदित न कर दिया गया हो।”

नियम 212 को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की पहचान की सीमा तक प्रभावी नहीं किया गया है। ऐसी मान्यता और पहचान के अभाव में, बिहार सेवा संहिता का नियम 212 प्रतिवादियों के दिनांक 14.08.2024 के निर्णय को सहायता नहीं देगा, साथ ही दिनांक 13.08.2024 के संकल्प को भी शामिल करेगा, जबकि प्रतिवादियों ने यूजीसी विनियम 2020 जैसी बाहरी सामग्री पर विचार किया है, जब बिहार सेवा संहिता के नियम 212 के तहत पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय या यूजीसी विनियमन की कोई मान्यता नहीं है, तो तर्क गलत है। जैसा भी हो, समन्वय पीठ के उद्धृत निर्णय

(सुप्रा) अंतरिम राहत देने के लिए उपयुक्त रूप से लागू होते हैं।

14. इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, याचिकाकर्ता ने अंतरिम आदेश देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांक 14.08.2024 का संचार सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13639/2024 के निपटान तक स्थगित किया जाता है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 से अनुरोध है कि वह याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका की सुनवाई और निपटान तक वीजा के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए अनंतिम अनापति प्रमाण पत्र/अनुमति प्रदान करें। याचिकाकर्ता को उसके आधिकारिक न्यायिक कर्तव्यों से छुट्टी दी जाए और उसे एलएलएम कार्यक्रम की ऑनलाइन/वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए, जो 18.11.2024 से शुरू होगी और 15.07.2025 को पूरी होगी। उपर्युक्त अंतरिम राहत याचिका में अंतिम निर्णय के परिणाम के अधीन है।

15. इस मामले को 26.11.2024 को फिर से सूचीबद्ध करें।

31. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 01.01.2024 के अंतरिम आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता ने पहले ही दूरस्थ शिक्षा का पहला चरण पूरा कर लिया है और वह विधि परास्नातक पाठ्यक्रम के आवासीय पाठ्यक्रम के दूसरे चरण से गुजर रही है और इस समय उनकी उच्च शिक्षा का ध्यान भंग करना उचित नहीं है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, याचिकाकर्ता ने एक मामला बनाया है ताकि स्थायी समिति के दिनांक 13.08.2024 के संकल्प के साथ पढ़े गए आक्षेपित संकल्प दिनांक 14.08.2024 में हस्तक्षेप किया जा सके और दोनों को

दरकिनार किया जाता है। नतीजतन, याचिकाकर्ता बिहार सेवा संहिता के अनुसार अध्ययन अवकाश का लाभ जैसे अध्ययन अवकाश और अन्य संबंधित सहायक मुद्दों प्राप्त करने का हकदार है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करने पर विचार करें और आगे बढ़ें।

32. तदनुसार, सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 13639/2024 को स्वीकृति दी जाती है।

(पी. बी. भजंत्री न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

गौराव एस./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।